

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025****IN THE MATTER OF**

VINAY SHRIVASTAVA

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENTS

Index

S No.	Particulars	Page Nos
1.	Counter Affidavit on behalf of Respondent No. 28 as per memo of parties dated 15.04.25 to the Original Application.	3-12
2.	ANNEXURE R-1 A true copy of the order dated 17.07.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	13-14
3.	ANNEXURE R-2 A true copy of E- Tender-Cum-E-Auction advertised, by the District Magistrate district Hamirpur, on 01.01.2025.	15-20
4.	ANNEXURE R-3 A true copy of the Letter of intent issued in favour of the answering Respondent by District Magistrate district Hamirpur vide letter dated 13.02.2025.	21-25
5.	ANNEXURE R-4	26-28

	A true copy of GST certificate of answering Respondent no.28 issued on 05/02/2024.	
6.	ANNEXURE R-5 A true copy of application in respect of clean Environment/Environment clearance certificate dated 15.09.2025.	29
7.	VAKALATNAMA	30

Filed by



ASHISH PANDEY

Advocate for Respondent No.28
Chamber No. 203, Second Floor,
M.C. Setalvad Lawyers Chambers,
Supreme Court of India
New Delhi- 110001
8447229428

Advocateashishpandey16@gmail.com

Date: 20.09.2025

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHII****ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025****IN THE MATTER OF**

VINAY SHRIVASTAVA

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENTS

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.**28 i.e. M/S AKSHARA CONSTRUCTION AS PER MEMO OF****PARTIES DATED 15.04.2025.**MOST RESPECTFULLY SHOWETH**PRELIMINARY SUBMISSION**

1. The Hon'ble National Green Tribunal, vide its Order dated 17.07.2025, directed the Respondents in the present Original Application to submit their responses within four weeks time. A true copy of Order dated 17.07.2025 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-1.**
2. The main issue pertaining to the preparation of District Survey Report -2024 (hereinafter referred to as DSR) without the proper replenishment study for District Hamirpur and the same is pending for adjudication before this Hon'ble Tribunal in the present Original application.
3. It is further submitted that the DSR has to be prepared by the state Government for the District after conducting replenishment studies to ensure environmental

sustainability and balance in sand mining. Which is sin qua non for identification of area prone to erosion or aggradation. The DSR must be based on Sustainable Sand Mining and Management Guidelines, 2016 as well the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (hereinafter referred to as SSMG-2016 & EMGSM, 2020) issued by the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (hereinafter referred to as MoEF&CC).

4. It is further submitted that E-tender-Cum-E-Auction dated 01.01.2025 as per the Mines and Minerals Concession Rules, 2021(hereinafter referred to as MMCR,2021) was advertised by the District Magistrate district Hamirpur for Sand/Morrum mining from Riverbed of ken River at village-Bakkcha Khadar, Bakkcha Bangar (Old name: Bakkacha Khadar), Khand 29/1 (Bakkcha Khand- Gate no. 49/7, 94, 95/1, 87 Mi, 89, 90, 91, 92, 93; Bakkcha- Gata no. 803), Lease Area- 12145 Ha.(30 Acres), Tehsil- Maudaha, District-Hamirpur, Uttar Pradesh, Project Proponent- M/s Maa Akshara Construction (Prop.- Shri Chandan Singh) Detail-(SW NO: SW/259961/20250. A True copy of E-Tender-cum-E-Auction issued on 01.01.2025 by District Magistrate district Hamirpur is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- R-2.**
5. After the successful bidding, the Letter of Intent was issued on 13.02.2025 by the District Magistrate, district Hamirpur to answering Respondent in respect of Sand/Morrum to the tune of 1,94,304 cubic meters. A true copy of the letter of intent issued on 13.02.2025 by the District Magistrate,

district Hamirpur to the answering Respondent is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-3**.

6. It is submitted that for the kind of perusal of the Hon'ble Tribunal the registration certificate of Good and Service Tax issued on 05.02.2024 to the answering Respondent is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-4**.
7. It is further submitted that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as MoEF&CC), has made it mandatory to obtain Environmental Clearance prior to establishing or expansion of any such project or activity which is listed in the schedule of notification. Environmental Clearance required for:
 - a. All new projects or activities listed in the schedule of this notification.
 - b. Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the schedule, after expansion or modernization.
 - c. Any change in product- mix in an existing manufacturing unit included in schedule beyond the specified range.
 - d. Objective of this process is to impose certain restrictions and prohibition on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts.

Therefore, the answering Respondent has already applied for prerequisite Environmental Clearance Certificate as per the prescribed rules, on 15.09.2025 with Uttar Pradesh, State Environment Impact Assessment Authority. A True copy of application dated 15.09.2025 to UP-SEIAA is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-5**.

8. It is further submitted that the answering Respondent denies all claims, contention, submission, allegation, and/or averment made by the applicant in the Original Application. which is contrary to or inconsistent with the present reply or the records of the case.
9. It is submitted that the answering Respondent is a law-abiding citizen of India having full faith and regard for the law of land.

Para-wise Reply

10. That the averments made in Paragraph 1 to 3 of the application being introductory in nature. Therefore, need no comments from the answering respondent.
11. That the averments made in Paragraphs 4.a to 4.d of the application relate to the queries raised by the applicant regarding the preparation of the District Survey Report in accordance with the SSMG, 2016, and the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (hereinafter referred as EMGSM) issued by MoEF&CC. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.

12. That the averments made in Paragraph 5 of the application pertain to the jurisdiction of the Hon'ble National Green Tribunal. As the said averments are related to matter of law, hence need no comments from the answering respondent.
13. That the averments made in Paragraph 6(i) to (iv) of the application relate to the SSMMG, 2016 and the EMGSM, 2020, as issued by the MoEF&CC. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.
14. That the averments made in Paragraph 6(v) and 6(vii) to 6(xii) of the application pertains to the Standard Operating Procedure (hereinafter referred as SOP) formulated by the Uttar Pradesh State Environment Impact Assessment Authority (hereinafter referred as UP SEIAA) for the preparation and modification of the District Survey Report for sand mining, as well as the deliberations undertaken in the meetings of the UP SEIAA/State Expert Appraisal Committee (hereinafter referred as SEAC) concerning the District Survey Report of District Hamirpur, Uttar Pradesh. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.
15. That the averments made in Paragraph 6(vi) of the application pertain to the rivers located in District Hamirpur,

Uttar Pradesh. As these are matters of record, hence need no comments from the answering respondent.

16. That the averments made in Paragraphs 6(xiii) to 6(xvi) of the application pertain to the e-tender-cum-e-auction process and the Final District Survey Report, 2024, for mining activities conducted by the District Administration, Hamirpur, Uttar Pradesh. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.
17. That the averments made in Paragraphs 7 and 8 of the application pertain to the process of preparation, approval, and implementation of the Final District Survey Report, 2024, by the District Administration, Hamirpur, without incorporating a replenishment study and geo-coordinates. It is respectfully submitted that the answering respondent has no comments to offer on these aspects, as the issues raised therein are subject to the consideration and determination of this Hon'ble Tribunal.
18. That averments made in Paragraphs 9 and 10, need no comments from the answering respondent.
19. That the averments made in Paragraph A to J in Grounds of the application as the same pertain to the grounds raised by the applicant, which are matters to be adjudicated by this Hon'ble Tribunal, hence need no comments from the answering respondent.
20. That the averments made in Paragraph (a) to (f) of the prayer clauses in the application as they pertain to matters

for adjudication by the Hon'ble Tribunal, hence, need no comments from the answering respondent.

FILED BY:



ASHISH PANDEY

Advocate for Respondent No.28

Chamber No. 203, Second Floor,

M.C. Setalvad Lawyers Chambers,

Supreme Court of India

New Delhi- 110001

8447229428

Advocateashishpandey16@gmail.com

Date: 20.09.2025

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPLE BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025

IN THE MATTER OF

VINAY SHRIVASTAVA


.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENTS

AFFIDAVIT



I, Chandan Singh, S/o Shreepati Singh, aged about 65 years, R/o 471 Rajendra Nagar Orai, Jalaun, Uttar Pradesh - 285001, Prop. M/s Maa Akshara Construction, presently at Lucknow do hereby solemnly affirm and state as under.

1. That, I am Prop. of Respondent no.28 in the above mentioned in the Original Application and I am fully conversant with the facts and circumstances of the case. Therefore, I am competent to swear the present affidavit in my official capacity.
2. That, I have read and understood the contents of the accompanying reply and the same has read over to me and explained to me by my counsel in my vernacular and the same are true and correct to the best of my knowledge and belief as per the record available with my office, and no part of the same are false and nothing material record have been concealed therefrom.
3. The Annexures annexed with the reply are true copies of the

respective originals.

Signature of Vinay Kumar Dwivedi
 Vinay Kumar Dwivedi
 Advocate & Notary
 Lucknow, U.P.

Chandhan Singh

Ashish

DEPONENT

VERIFICATION

I the above-named deponent, do hereby verifying that the contents of para no 1 to 3 of the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material have been concealed therefrom.



Verified at Lucknow on day of September of 2025.

Ashish

DEPONENT

THROUGH,

ASHISH PANDEY
ADVOCATE

BEFORE ME
Advocate & Notary
No. 2236 Govt. of India

ANNEXURE R-1

Item No. 07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 09/2025
(IA No. 319/2025, IA No. 318/2025, IA No. 316/2025,
IA No. 37/2025 & IA No. 32/2025)

Vinay Shrivastav

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 17.07.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Gaurav Kumar Bansal, Ms. Nandita Bansal, Ms. Chandrika Upadhyay
& Ms. Atharva Upadhyay, Advs. for Applicant

Respondent: Mr. K.M. Natraj, ASG (Through VC) with Mr. Vinod Shahi, AAG (Through
VC) and Mr. Ankit Verma, Adv. for the State of UP
Ms. Garima Prashad, AAG (Through VC) with Ms. Priyanka Swami, Adv.
for SEIAA, UP
Mr. Atmaram N.S. Nadkarni, Senior Advocate with Mr. S.S. Rebello, Mr.
Kabir Singh & Ms. Deepti Arya, Advs. for R - 30
Mr. Narender Pal Singh, Adv. for MoEF & CC (Through VC)
Mr. Srinivas Vishven, Adv. for CPCB
Mr. Ashish Pandey, Adv. for R - 12, 28 & 30
Mr. Gaurav Agarwal, Adv. R - 11, 13, 17, 19 to 24 & Sutra Constructions
Ms. Megha Karnwal & Mr. Avishal Singh, Advs. for R - 10, 18, 25 & 26

ORDER

1. The Tribunal by order dated 15.04.2025 had impleaded the Project Proponents in whose favour the Letters of Intent (LOIs) were issued.
2. Learned Counsel appearing for the State of UP has informed that all the newly added respondents have been served through Respondent No. 5, District Mining Officer.
3. The affidavit of service has also been filed by learned Counsel for the Applicant.

4. Learned Counsel for the State of UP has also informed that so far as Respondent No. 28, Shri Omendra Yadav is concerned, his LOI has been cancelled.
5. Since the concerned project proponents have already been impleaded, therefore, in IA No. 316/2025, IA No. 318/2025 and IA No. 319/2025 - applications for impleadment on their behalf, no further orders are required which are accordingly disposed of.
6. Learned Counsels appearing for the newly added respondents seek four weeks' time to file the reply.
7. Rejoinder, if any, be filed within two weeks thereafter.
8. List on 22.09.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 17, 2025
Original Application No. 09/2025
(IA No. 319/2025, IA No. 318/2025,
IA No. 316/2025, IA No. 37/2025 &
IA No. 32/2025)
dv



TRUE COPY

[1]

ANNEXURE R-2

प्रारूप-1

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या-1473/खनिज-एम0एम0सी-तीस विज्ञापित मौरम (2024-25) दिनांक- 01/01/2025

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन के भूत्व एवं खनिकर्म विभाग के शासनादेश संख्या-781/86-2020-14(सा0)/2020 दिनांक-23.05.2020 में उल्लिखित निर्देशानुसार जनपद हमीरपुर में नदी ताल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मौरम के खनन क्षेत्रों को छः माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत करने के आशय से उपलब्ध घोषित करते हुये दिनांक-31/01/2025 से 06/02/2025 (05 कार्य दिवस) की अवधि में क्षेत्रों के लिये ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदाये उल्लिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण :-

क्र.सं. सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/ खण्ड सं०	क्षेत्रफल (एकड़ में)	शीमाएँ	जिओकोर्डिंग		उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित/ आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमी० में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर X निर्धारित/ आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
						अक्षांश	देशान्तर				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	हमीरपुर	पतारा हरिया, महुसापुर हरिया	खण्ड सं०- 8/4 व गाटा सं० 107/83, 111/83, 115, 01/10, 02/4	83.96	उत्तर-गाटा संख्या-84 व 85 दक्षिण-ग्राम महुसापुर के गाटा संख्या-2 व 3 का संघ भाग। पूर्व-गाटा संख्या-07/94 पश्चिम-ग्राम पतारा हरिया की सीमा।	A-N-25°53'57.23" B-N-25°54'03.42" C-N-25°53'48.00" D-N-25°53'44.25" E-N-25°53'42.85"	E-80°03'27.70" I-80°03'40.58" I-80°03'56.64" L-80°03'43.00" I-80°03'24.93"	बालू/ मौरम	5,41,394	8,12,09,100	4,06,04,550
2	हमीरपुर	जिन्दुपुरी, मांढहा	खण्ड सं०-10/2 व गाटा सं० 233, 234/1, 234/2, 249, 235, 01	57.95	उत्तर-गाटा संख्या-234 का संघ दक्षिण-ग्राम जेठेडा के गाटा सं०-1 का संघ भाग। पूर्व-खण्ड सं०-10/1 पश्चिम-खण्ड संख्या-10/3	A-N-25°53'05.68" B-N-25°53'15.62" B1-N-25°53'28.28" C-N-25°53'29.98" D-N-25°53'20.78" D1-N-25°53'08.26"	E-79°56'37.38" L-79°56'26.58" E-79°56'39.55" E-79°56'43.31" I-79°56'50.06" L-79°56'38.30"	बालू/ मौरम	4,07,084	6,10,62,600	3,05,31,300
3	सरीला	कुपरा	खण्ड सं०-23/28 व गाटा सं० 01/7, 02/11	18.03	उत्तर-गाटा संख्या-1 का संघ भाग। दक्षिण-गाटा संख्या-2 का संघ भाग। पूर्व-खण्ड संख्या-23/27 पश्चिम-गाटा संख्या-697 का संघ भाग।	A-N-25°53'31.10" B-N-25°53'18.20" C-N-25°53'23.70" D-N-25°53'31.60"	E-79°53'39.60" E-79°53'42.98" E-79°53'53.70" E-79°53'51.00"	बालू/ मौरम	1,28,947	1,93,42,050	96,71,025
4	हमीरपुर	वेरी	खण्ड सं० 23/30 व गाटा सं०-897/ 931/1,	24.34	उत्तर-ग्राम वेरी के गाटा संख्या-730/932 का संघ। दक्षिण-गाटा संख्या-2 का संघ भाग। पूर्व-गाटा संख्या-897 का संघ भाग। पश्चिम-गाटा संख्या-1 व 2 का संघ भाग।	A-N-25°53'26.52" B-N-25°53'24.48" C-N-25°53'36.93" D-N-25°53'41.71"	E-79°53'31.17" E-79°53'36.62" E-79°53'47.61" E-79°53'41.82"	बालू/ मौरम	1,57,667	2,36,50,050	1,18,25,025
	सरीला	कुपरा	गाटा सं० 01/7, 02/11								

L

[2]

5	हमीरपुर	वेशी	खण्ड सं 10/36 गाटा सं 097/ 931/01	30	उत्तर-ग्राम वेशी के गाटा सख्या-730/132 का शेष। दक्षिण-गाटा सख्या 2 का शेष भाग। पूर्व-खण्ड सख्या-1 व 2 शेष भाग। पश्चिम-गाटा सख्या-10/33	A-N-25°53'40.22" B-N-25°53'27.20" C-N-25°53'26.61" D-N-25°53'42.75"	E-79°53'14.60" E-79°53'17.80" E-79°53'25.76" E-79°53'25.76"	वालू/ गौरम	1,94,304	2,91,45,600	1,45,72,800
6	सरीला	कुपरा	खण्ड सं 20/4 गाटा सं 01/7, 02/11	82	उत्तर-नदी की सीमा। दक्षिण-खण्ड सख्या-20/5। पूर्व-गाटा सख्या-42 का शेष भाग। पश्चिम-गाटा सख्या-1 का शेष भाग।	A-N-25°54'20.59" B-N-25°54'2.52" C-N-25°54'9.62" D-N-25°54'32.00"	E-79°57'39.13" E-79°57'45.60" E-79°57'59.62" E-79°58'1.05"	वालू/ गौरम	1,77,200	2,65,80,000	1,32,90,000
7	गौदहा	खोहटा दरिया	खण्ड सं 20/5 गाटा सं 01, 42, 45, 48	77.16	उत्तर-ग्राम पाटा की सीमा। दक्षिण-टीकपुर की सीमा। पूर्व-खण्ड सख्या-20/4 पश्चिम-खण्ड सख्या-20/6	A-N-25°54'20.59" B-N-25°54'2.52" C-N-25°53'59.84" D-N-25°53'51.75" E-N-25°53'2.84" F-N-25°53'12.70"	E-79°57'39.13" E-79°57'45.60" E-79°57'40.55" E-79°57'30.68" E-79°57'21.31" E-79°57'28.97"	वालू/ गौरम	4,99,778	7,49,66,700	3,74,83,350
8	गौदहा	खोहटा दरिया	खण्ड सं-20/6 गाटा सं 01, 42	44.46	उत्तर-वेशी की सीमा। दक्षिण-टीकपुर की सीमा। पूर्व-खण्ड सख्या-20/5 पश्चिम-खण्ड सख्या-20/7	A-N-25°53'52.86" B-N-25°53'40.77" C-N-25°53'51.75" D-N-25°54'2.84" E-N-25°53'55.76"	E-79°57'11.11" E-79°57'20.50" E-79°57'30.68" E-79°57'21.31" E-79°57'15.38"	वालू/ गौरम	2,70,000	4,05,00,000	2,02,50,000
9	गौदहा	खोहटा दरिया	खण्ड सं-20/7 गाटा सं 01, 42	41.12	उत्तर-नेला नदी एवं ग्राम नरती के भूमि से। दक्षिण-नेला नदी एवं ग्राम नरती के भूमि से। पूर्व-नेला नदी में खण्ड सख्या-20/6 पश्चिम-नेला नदी में खण्ड सं-10/1	A-N-25°53'52.86" B-N-25°53'40.77" C-N-25°53'31.11" D-N-25°53'42.44"	E-79°57'11.11" E-79°57'20.50" E-79°57'10.34" E-79°57'2.70"	वालू/ गौरम	2,49,750	3,74,62,500	1,87,31,250
10	गौदहा	मुलसी खादर	खण्ड सं-30/2 गाटा सं 0-244, 237, 238, 239/1 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 48/124	90	उत्तर-खण्ड सख्या-30/3 की सीमा। दक्षिण-गाटा सख्या-1389/ 399 का शेष भाग। पूर्व-गाटा सख्या-244 का शेष भाग। पश्चिम-ग्राम मुलसी की भूमि।	A-N-25°38'51.60" B-N-25°38'49.86" C-N-25°38'31.71" D-N-25°38'13.70" E-N-25°38'19.90"	E-80°18'55.20" E-80°19'3.72" E-80°18'44.17" E-80°18'22.20" E-80°18'16.40"	वालू/ गौरम	5,46,555	8,19,83,350	4,09,91,625
11	गौदहा	बबछा खादर	खण्ड सं 29/1 गाटा सं 0-49/7, 94, 95/1, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93	30	उत्तर-खण्ड सख्या-29/2 की सीमा। दक्षिण-गाटा सख्या-803 का शेष भाग। पूर्व-खण्ड सख्या-95 का शेष भाग व नदी। पश्चिम-ग्राम बबछा की भूमि।	A-N-25°36'29.95" B-N-25°36'33.87" C-N-25°36'38.32" D-N-25°36'45.30" E-N-25°36'48.37" F-N-25°36'30.60"	E-80°17'25.22" E-80°17'25.17" E-80°17'23.61" E-80°17'18.12" E-80°17'27.35" E-80°17'34.05"	वालू/ गौरम	1,94,304	2,91,45,600	1,45,72,800

[3]

13	गौरहा	बकस खादर	खण्ड सं०-२१/२ गांवा सं०-४१/७ ९६/१ ३९/१ ३८/२/३९ ४७/४३/१ ४६/२/६० ६१ ६२/६	३०	उत्तर-पश्चिम संख्या-२०/३ का शेष भाग। दक्षिण-पश्चिम संख्या-२०/३ का शेष भाग। पूर्व-गांवा संख्या-९६ का शेष भाग। मरियम-माम संख्या-४१ का शेष भाग। मरियम-माम संख्या-४१ का शेष भाग।	A-N-25°37'02.23" B-N-25°36'58.32" C-N-25°36'50.90" D-N-25°36'45.30" N-25°36'48.37"	E-80°17'12.62" E-80°17'06.58" E-80°17'14.22" E-80°17'18.12" E-80°17'27.35"	वालू/ मौरम	1,94,304	2,91,45,600	1,45,72,800
	गौरहा	बकस खादर	खण्ड सं०-२१/३ गांवा सं०-४१/७ ९६/२/३ ११/६/१ २६/२६ २६/२६ ३४/३८/१ ११/१ २४/२ २६/३	३०	उत्तर-पश्चिम संख्या-३ का शेष भाग। दक्षिण-पश्चिम संख्या-२०/३ का शेष भाग। पूर्व-गांवा संख्या-९६ का शेष भाग। मरियम-माम संख्या-४१ का शेष भाग। मरियम-माम संख्या-४१ का शेष भाग।	A-N-25°37'02.23" B-N-25°36'58.32" C-N-25°37'14.60" D-N-25°37'16.25"	E-80°17'12.62" E-80°17'06.58" E-80°16'49.70" E-80°16'56.28"	वालू/ मौरम	1,94,304	2,91,45,600	1,45,72,800
14	सरीला	मेडी दरिया	खण्ड सं०-२३/६ गांवा सं०-६३/१, ६४/१, ६७, ६९	४७/६४	उत्तर-पश्चिम संख्या-६४ का शेष भाग। दक्षिण-पश्चिम संख्या-२३/७ का शेष भाग। पूर्व-गांवा संख्या-६३ का शेष भाग। मरियम-गांवा संख्या-६७ का शेष भाग।	A-N-25°54'38.24" B-N-25°54'36.95" C-N-25°54'48.70" D-N-25°54'52.73" E-N-25°54'53.92" F-N-25°54'39.81"	E-79°49'0.74" E-79°48'45.12" E-79°48'49.06" E-79°48'56.96" E-79°49'6.64" E-79°49'01.25"	वालू/ मौरम	3,09,882	4,64,82,300	2,32,41,150
			खण्ड सं०-२२/५ गांवा सं० ०२		उत्तर-पश्चिम संख्या-२ का शेष भाग। दक्षिण-पश्चिम संख्या-२ का शेष भाग। पूर्व-खण्ड संख्या-२२/४ का शेष भाग। मरियम-खण्ड सं०-२२/६ का शेष भाग।	A-N-25°54'30.75" B-N-25°54'28.44" C-N-25°54'15.85" D-N-25°54'08.12" E-N-25°54'21.33" F-N-25°54'23.75"	E-79°44'38.38" E-79°44'43.59" E-79°44'56.10" E-79°44'46.60" E-79°44'34.59" E-79°44'29.70"	वालू/ मौरम	3,67,954	5,51,93,100	2,75,96,550
16	सरीला	ग्रणडीला दरिया	खण्ड सं०-२२/१० गांवा सं०-३६/१, ६५/३६, ३९, ४०/१ ४७/२, ४६/५, ५६/२ ३७/१ ३९/१	६०	उत्तर-पश्चिम संख्या-३७/१ का शेष भाग। दक्षिण-पश्चिम संख्या-३८ का शेष भाग। पूर्व-गांवा संख्या-४० का शेष भाग। मरियम-खण्ड संख्या-२२/१२ का शेष भाग।	A-N-25°54'52.84" B-N-25°55'03.51" C-N-25°55'17.91" D-N-25°54'59.33"	E-79°41'54.51" E-79°41'39.13" E-79°41'48.08" E-79°42'02.75"	वालू/ मौरम	3,88,608	5,82,91,200	2,91,45,600
			खण्ड सं०-५०९/१, ५०९/२ ६६२/१		उत्तर-पश्चिम संख्या-१ का शेष भाग। दक्षिण-पश्चिम संख्या-१ का शेष भाग। पूर्व-गांवा संख्या-४० का शेष भाग। मरियम-खण्ड संख्या-२२/१२ का शेष भाग।	A-N-25°47'41.77" B-N-25°47'29.44" C-N-25°47'18.70" D-N-25°47'16.39" E-N-25°47'17.16" F-N-25°47'20.45" G-N-25°47'32.37"	E-79°26'09.74" E-79°26'14.96" E-79°26'29.20" E-79°26'28.17" E-79°25'24.62" E-79°26'17.92" E-79°26'11.11"	वालू/ मौरम	1,72,620	2,58,93,000	1,29,46,500
17	सरीला	नगरौल धुरौली	खण्ड सं०-२६/१ गांवा सं०-०१३/०२ ०१, ०६, ०६/२	४२/६३	उत्तर-पश्चिम संख्या-१ का शेष भाग। दक्षिण-पश्चिम संख्या-१ का शेष भाग। पूर्व-गांवा संख्या-१ का शेष भाग। मरियम-खण्ड संख्या-२६/२१ का शेष भाग।	A-N-25°47'41.77" B-N-25°47'29.44" C-N-25°47'18.70" D-N-25°47'16.39" E-N-25°47'17.16" F-N-25°47'20.45" G-N-25°47'32.37"	E-79°26'09.74" E-79°26'14.96" E-79°26'29.20" E-79°26'28.17" E-79°25'24.62" E-79°26'17.92" E-79°26'11.11"	वालू/ मौरम	1,72,620	2,58,93,000	1,29,46,500
			खण्ड सं०-०१३/०२ ०१, ०६, ०६/२		उत्तर-पश्चिम संख्या-१ का शेष भाग। दक्षिण-पश्चिम संख्या-१ का शेष भाग। पूर्व-गांवा संख्या-१ का शेष भाग। मरियम-खण्ड संख्या-२६/२१ का शेष भाग।	A-N-25°47'41.77" B-N-25°47'29.44" C-N-25°47'18.70" D-N-25°47'16.39" E-N-25°47'17.16" F-N-25°47'20.45" G-N-25°47'32.37"	E-79°26'09.74" E-79°26'14.96" E-79°26'29.20" E-79°26'28.17" E-79°25'24.62" E-79°26'17.92" E-79°26'11.11"	वालू/ मौरम	1,72,620	2,58,93,000	1,29,46,500

शर्त :-

- खनन अनुज्ञा-पत्र की अवधि (मानसून रात्र अर्थात् माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम ०६ माह के लिये होगी।

2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या गौरम या बजरी या बोल्टर या इनमे से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति में उल्लिखित की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री विड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, गौरम, बजरी, बोल्टर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के लिये गौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
 - (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-॥ का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा। निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।
 - (ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
 - (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

प्रारूप-2 की सूचनायें :-

 - क- विज्ञापित संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
 - ख- विज्ञापित में क्षेत्र का क्रमांक
 - ग- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0नं0।
 - घ- उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।
 - ङ - अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0-2000/- का चालान संख्या व दिनांक।
 - च- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
 - छ- पैनकार्ड का क्रमांक।
 - ज- चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
 - झ- कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

 - क- ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु0-2,000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
 - ख- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
 - ग- पैन कार्ड।

[5]

- घ- जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्रधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेशता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/ परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।
- उ- सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का PAN आवश्यक होगा।
7. विज्ञप्ति के अनुसार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
 8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या 6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये फॉर्म-2 की पति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
 9. बैंक ड्राफ्ट की मूल पति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्यदिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
 10. सटीक दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किए गये अभिलेखों से गिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के गिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
 11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
 12. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।
 13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण करना होगा। जिन क्षेत्रों के लिये पर्यावरण प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा-पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरण स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।
 14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
 15. अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
 16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन सक्रियताएँ सम्पादित करेगा।

[6]

17. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
18. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
19. जिलाधिकारी द्वारा चिह्नित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
20. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्ति अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है।
21. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञा पत्र धारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा किया जायेगा।
22. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञा पत्र धारक को मान्य होगा।
23. वैज्ञानिक आधार पर मात्रा का संशोधन जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

संख्या-

/तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0, प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञापित को व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हमीरपुर।
8. कार्यालय आदेश दिनांक-27.05.2020 के द्वारा गठित निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

Abandey

TRUE COPY

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

ANNEXURE R-3

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1654/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 13/02/2025

मै0 मॉ अक्षरा कन्सट्रक्शन,
प्रो0 चन्दन सिंह पुत्र श्री श्रीपति सिंह,
पता-471 राजेन्द्र नगर उरई, जालौन,
जनपद जालौन, उ0प्र0।

आशय-पत्र

उत्तर प्रदेश शासन के भूत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के शासनादेश संख्या-781/86-2020-14(सा0)/2020 दिनांक-23.05.2020 के द्वारा नदी तल में उपखनिज बालू/मौरम बजरी आदि के स्वीकृत खनन पट्टों के समय पूर्व निरस्त हो जाने अथवा समर्पित हो जाने की दशा में उन्हें छः माह की अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली से व्यवस्थित करने के निर्देश दिये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक-23.05.2020 के क्रम में जनपद हमीरपुर के बालू/मौरम के उपरिवर्णित रिक्त क्षेत्रों को 06 माह की अल्प अवधि के लिये खनन अनुज्ञा पर स्वीकृत किये जाने हेतु पत्र संख्या-1473/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विज्ञप्ति मौरम (2024-25) दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञप्ति जारी कर ई-निविदायें आमन्त्रित की गई थी। निर्गत विज्ञप्ति दिनांक-01.01.2025 के क्रम में बालू/मौरम खनन क्षेत्र तहसील मौदहा के ग्राम बक्छाखादर, बक्छाबांगर खण्ड संख्या-29/1 गाटा संख्या-49/7, 94, 95/1, 87मि0, 89, 90, 91, 92, 93, 803 रकबा- 30 एकड़, मात्रा-1,94,304 घनमी0 हेतु आपने ई-निविदा में सर्वाधिक दर रू0-1530/-प्रति घनमी0 की दर से निविदा दी है। आप द्वारा दी गई रू0-1530/-प्रति घन मीटर की निविदा सर्वोच्च एवं सन्तोषजनक होने के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबन्धिक रूप से एतद्वारा स्वीकार की जाती है :-

शर्तें:-

- 1 सफल निविदादाता, ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि, डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करेगा। यदि सफल निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
- 2 क्षेत्र में आंकलित खनिज की मात्रा 1,94,304 घनमी0 पर आपके द्वारा ई-निविदा में दी गयी बोली रू0-1530/-प्रति घन मी0 के दर से कुल रू0-29,72,85,120/-की देयता रायल्टी के मद में बनती है।
- 3 पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमाकन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रारूप-3 पर खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
- 4 अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
- 5 अनुज्ञाधारक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियायें सम्पादित करेगा।

- 6 जिन क्षेत्र में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा।
- 7 अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
- 8 प्रश्नगत खनन क्षेत्र का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में यदि कोई बदलाव होता है, तो वह मान्य होगा।

अनुज्ञा पत्र की शर्तें

- (1) अनुज्ञाधारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। अनुज्ञाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। अनुज्ञा पत्र धारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (2) अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को सही विवरण सहित ई-एम0एम0-11 जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- (3) अनुज्ञाधारक 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
- (4) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा मानको के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।
- (5) नदी की जल धारा से सेक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (7) यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों व खनन अनुज्ञा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र, खनन योजना, आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है।
- (8) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाप्तिधारी की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा किया जायेगा।
- (9) अनुज्ञा पत्र धारक को खनन क्षेत्र में पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (10) अनुज्ञा पत्र धारक को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 यथा संशोधित एवं सुसंगत शासनादेशों एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों को अक्षरशः पालन करना होगा।
- (11) स्वीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

- (12) खनन अनुज्ञा से निकाले गये खनिज का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत खनन अनुज्ञाधारक क्षेत्र के भीतर निजी भूमि होने की दशा में अनुज्ञाधारक भूमि के स्वामी को नियम-68 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करेगा।
- (14) अनुज्ञा पत्र समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में अनुज्ञा पत्र धारक को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (15) पानी रोकथाम और नियन्त्रण प्रदूषण अधिनियम-1974 और वायु रोकथाम और नियन्त्रण प्रदूषण अधिनियम-1981 के तहत C.T.O पानी और वायु का प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन कार्य चालू किया जायेगा।
- (16) खनन अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने उपरान्त जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित आंकलित उपखनिज की मात्रा व खनन स्थल की सीमाओं में किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की मांग स्वीकार नहीं की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि विषयगत खनन अनुज्ञा पत्र (छः माह) के अधीन देय सम्पूर्ण धनराशि रु0-29,72,85,120/-का 50 प्रतिशत धनराशि रु0-14,86,42,560/-में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि रु0-1,45,72,800/-(डीडी) को समायोजित कर शेष धनराशि रु0-13,40,69,760/-आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक (0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 800-अन्य प्राप्तियां और 01-अन्य प्राप्तियां) में जमा करें। उक्त धनराशि www.rajkosh.up.nic.in पर जाकर आनलाइन भी जमा की जा सकती है तथा धनराशि जमा होने के उपरान्त चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि रु0-14,86,42,560/-, देय डी0एम0एफ0 तथा टी0सी0एस0 की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना होगा। यदि नियत अवधि में देय धनराशि जमा नहीं की जाती है तब आपके द्वारा बयाने के रूप में जमा की गयी धनराशि रु0-1,45,72,800/-को, राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा, जिसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

संख्या-

/तददिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 251 / खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक: 16/05/2025
कलस्टर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मै0 माँ अक्षरा कन्सट्रक्शन प्रो0 चन्दन सिंह पुत्र श्रीपति सिंह पता-471 राजेन्द्र नगर उरई, जनपद जालौन उ0प्र0 को पत्रांक-1654/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-13.02.2025 के माध्यम से खण्ड सं0-29/1 गाटा संख्या-49/7, 94, 95/1, 87मि0, 89, 90, 91, 92, 93, 803 ग्राम बक्छाखादर, बक्छाबांगर तहसील मौदहा, जनपद हमीरपुर, हेतु कुल रकबा-12.145 (30 एकड़) खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में सहमति पत्र (एल0ओ0आई0) निर्गत किया गया है। ओ0ए0न0 186/2016 सतेन्द्र पाण्डे बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2018 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा जारी ओ0एम0सं0-L-11011/175/2018-IA-II(M) दिनांक-12.12.2018 के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र की स्थिति निम्नवत है-

- द) प्रश्नगत खनन क्षेत्र की परिधि से 500 मीटर की दूरी में निम्नांकित खनन क्षेत्रों के लिये आशय पत्र (LOI) निर्गत है:-
- 1) ग्राम बक्छाखादर के खण्ड संख्या-29/2 गाटा सं0-49/7, 95/1, 38/1, 38/2, 39, 47, 48/1, 46/2, 50, 51 रकबा-12.145 हेक्टेयर
 - 2) ग्राम बक्छाखादर के खण्ड संख्या-29/3 गाटा सं0-49/7, 95/1, 2, 3, 11, 8/1, 25, 26, 26/1क, 29क, 30, 34, 38/1, 12/1, 24/2, 24/3 रकबा-12.145 हेक्टेयर

उक्त सभी खनन क्षेत्रों का कुल योग 36.437 हेक्टेअर (05 हे0 से अधिक) है। संबंधित प्रकरण श्रेणी बी-1 से आच्छादित होता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण में ई0ए0सी0 भारत सरकार/एस0ई0आई0ए0ए0यू0पी0/डी0ई0आई0ए0ए0 से निर्गत पूर्व-पर्यावरणीय क्लीरेन्स के गाटा/खण्ड संख्या को सम्मिलित कर लिया गया है।

Pankaj
24/05/2025

खान निरीक्षक,
हमीरपुर

24-05-25

खान अधिकारी,
हमीरपुर

सीमाकन आख्या/सहमति पत्र

आज दिनांक-25.04.2025 को तहसील मौदहा के ग्राम बक्छाखादर, बक्छाबांगर खण्ड संख्या-29/1 गाटा संख्या-49/7, 94, 95/1, 87मि0, 89, 90, 91, 92, 93, 803, रकबा-12.145 हे0 में उपखनिज बालू/मौरम के क्षेत्र जो की मै0 मों अक्षरा कन्सट्रक्शन, प्रो0 चन्दन सिंह पुत्र श्री श्रीपति सिंह पता-471 राजेन्द्र नगर उरई जालौन, जनपद जालौन उ0प्र0 के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र प्रस्तावित है, का सीमाबन्धन किया गया। सीमाकन कार्य ग्राम बक्छाखादर का गाटा संख्या-770, 771 व 772 का मध्यान्तर बिन्दु, जिसे मानचित्र में RP₁ तथा ग्राम बक्छाखादर का गाटा संख्या-811, 812 व 813 का मध्यान्तर बिन्दु जिसे मानचित्र RP₂ से प्रदर्शित किया गया है, को सन्दर्भ बिन्दु मानकर किया गया। मौके पर सभी सीमास्तम्भों को चिन्हित कर पट्टेधारक/प्रतिनिधि को दिखा दिया गया है। सीमास्तम्भों का जी0पी0एस0 निर्देशांक निम्नवत् है:-

बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर
A	N-25°36'29.95"	E-80°17'25.22"
B	N-25°36'33.87"	E-80°17'25.17"
C	N-25°36'38.32"	E-80°17'23.61"
D	N-25°36'45.30"	E-80°17'18.12"
E	N-25°36'48.37"	E-80°17'27.35"
F	N-25°36'30.60"	E-80°17'34.05"

सीमाबन्धित क्षेत्र की चौह दी निम्नवत् है:-

उत्तर- खण्ड संख्या-29/2, बेतवा नदी

दक्षिण- ग्राम बक्छाखादर की भूमि

पूरब- बेतवा नदी।

पश्चिम- खण्ड संख्या-29/2

मौके पर उपस्थित पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि पट्टा क्षेत्र के सभी सीमास्तम्भों का पक्का निर्माण कर 07 दिवस के अन्दर फोटोग्राफ सहित कार्यालय को सूचित करें। उक्त सीमाकन कार्य से पट्टाधारक/पट्टाप्रतिनिधि सहमत एवं सन्तुष्ट है।

संलग्नक:-स्वीकृत एवं सीमाबन्धित खनन क्षेत्र का मानचित्र।

(पट्टाधारक/प्रतिनिधि)

Arif

Pankaj
25/04/2025

(पंकज कुमार)
खान निरीक्षक
हमीरपुर

Abandey

1234

26

ANNEXURE R-4



Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09HDMPS8206L1ZN

1.	Legal Name	CHANDAN SINGH			
2.	Trade Name, if any	MAA AKSHARA CONSTRUCTION			
3.	Additional trade names, if any				
4.	Constitution of Business	Proprietorship			
5.	Address of Principal Place of Business	Building No./Flat No.: 479 Name Of Premises/Building: RAJENDRA NAGAR Road/Street: KARMER ROAD City/Town/Village: Orai District: Jalaun State: Uttar Pradesh PIN Code: 285001			
6.	Date of Liability				
7.	Period of Validity	From	05/02/2024	To	Not Applicable
8.	Type of Registration	Regular			
9.	Particulars of Approving	Uttar Pradesh			
Signature		Validity unknown Digitally signed by DS-GOODS AND SERVICES TAX NETWORK 07 Date: 2024.02.05 11:16:20 IST			
Name		praveen shrotriya			
Designation		Assistant Commissioner			
Jurisdictional Office		Jalaun, Sector-3 Orai			
Date of issue of Certificate		05/02/2024			
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.					

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 05/02/2024 by the jurisdictional authority.



Goods and Services Tax Identification Number: 09HDMPS8206L1ZN

Details of Additional Place of Business(s)

Legal Name CHANDAN SINGH
Trade Name, if any MAA AKSHARA CONSTRUCTION

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

Goods and Services Tax



Goods and Services Tax Identification Number: 09HDMPS8206L1ZN

Legal Name CHANDAN SINGH
Trade Name, if any MAA AKSHARA CONSTRUCTION

Details of Proprietor

1



Name CHANDAN SINGH
Designation/Status Proprietor
Resident of State Uttar Pradesh

Goods and Services Tax

Abandey

TRUE COPY

VAKALATNAMA
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025

IN Re :-

VINAY SHRIVASTAVA

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We **CHANDAN SINGH PROP. M/S MAA****AKSHARA CONSTRUCTION** the abovenamed **RESPONDENT NO 28**

do hereby appoint

ASHISH PANDEY, Advocate

D/740217023

RC-139, Prem Vihar, Khora Colony, Gzb, UP

Mobile :- 8447229428

Email :- Advocateashishpandey16@gmail.com

(herein after called the advocates) to be my/our Advocate in the above-noted case authorize them :-

- To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me/us.
- To sign file verify and present pleadings appeals cross-objections or petitions for executions review revision withdrawal compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.
- To fill and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.
- To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.
- To take execution proceedings.
- To deposit draw and receive money cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.
- To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorized agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate of his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fees is paid. I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more that 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these present the contents of which have been understood by me/us on this 16th Day July of 2025

Accepted subject to terms of fees.


ADVOCATE

ASHISH PANDEY
Advocate
Delhi High Court
RC-139, Prem Vihar
Khora Colony, Gzb.
Mob. 8447229428


CLIENT

(CHANDAN SINGH)

